सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 235 राँची ,शुक्रवार

2 ज्येष्ठ 1936 (श०)

23 मई, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

22 मई, 2014

1. उपायुक्त, पलामू का पत्रांक 198/गो0, दिनांक 18.02.2013, पत्रांक-46/स्था0, दिनांक 08.02.2014

2. श्री उराँव का स्पष्टीकरण पत्रांक- 86 मु0/आ0, दिनांक 18.04.2013

3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-2740, दिनांक 23.03.2013

संख्या-5/आरोप-1-116/2014 का.- 4557--श्री विपिन उराँव, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-803/03, गृह जिला-राँची) के विरूद्ध इनके जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू के पद पर पदस्थापन अवधि से संबंधित उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 198/गो0, दिनांक 18 फरवरी, 2013 के द्वारा आरोप प्रपत्र-'क' में प्राप्त है। श्री उराँव के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

1. आप जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू -सह- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पलामू के पद पर पदस्थापित हैं। अतिरिक्त बी0पी0एल0 योजना मद के वित्तीय वर्ष 2011-12 में माह-जून, जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2011 में चार माह का अनाज छत्तरपुर अनुमंडल क्षेत्र अन्तर्गत वितरण हेतु आपके द्वारा सही ढंग से एस0आई0ओ0 तैयार नहीं किया गया। फलस्वरूप तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति

पदाधिकारी के द्वारा अनाज के उठाव एवं वितरण में अनियमितता बरती गई। इससे यह प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता बरती गई है।

2. आप जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू -सह- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पलामू के पद पर पदस्थापित हैं। अतिरिक्त बी0पी0एल0 योजना मद के वित्तीय वर्ष 2011-12 में माह-जून, जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2011 में चार माह का अनाज छत्तरपुर प्रखंड अन्तर्गत कुल 168 जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के बीच वितरण हेतु खाद्यान्न का उपावंटन आपके द्वारा तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, छत्तरपुर को किया गया था, परंतु प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, छत्तपुर ने उक्त अनाज को मात्र 38 जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के बीच वितरित कर दिया, जिससे अतिरिक्त बी0पी0एल0 योजना मद के अनाज के कालाबाजारी की संभावना बढ़ गई। इससे यह प्रतीत होता है कि आपके द्वारा खाद्यान्न के उठाव वितरण आदि का सही ढंग से पर्यवेक्षण/निरीक्षण नहीं किया गया। नहीं तो यह बात प्रकाश में आये बिना नहीं रहती।

3. श्री चन्द्रशेखर कंठ के द्वारा उपावंटित खाद्यान्न के विरूद्ध जो 38 बैंक ड्राफ्ट अनाज उठाव के लिये जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम के कार्यालय में जमा किये गये वह बैंक ड्राफ्ट भी मात्र दो ही व्यक्तियों के खाते में जमा किये गये थे। जिसका सत्यापन आपके कार्यालय एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पलामू के द्वारा नहीं कराया गया। अगर आपके कार्यालय जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पलामू के द्वारा अगर बैंक ड्राफ्ट का सत्यापन कराया जाता, तो अनाज की कालाबाजारी पूर्व में ही प्रकाश में आ जाती। इससे यह प्रतीत होता है कि आपके द्वारा कार्यों में लापरवाही बरती गई है।

4. आप जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू -सह- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पलामू के प्रभार में है। आपके द्वारा न तो सही ढंग से वित्तीय वर्ष 2011-12 में और न ही 2012-13 में गोदामों का निरीक्षण किया गया न तो जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण किया गया और न ही इस विषयक कभी उपायुक्त को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। आपके कार्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में अनाज के उठाव एवं वितरण में कालाबाजारी की गई।

5. सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानदारों के बीच अतिरिक्त बी0पी0एल0 के चावल वितरण के लिए पंजी संधारित का निदेश दिया गया था। पंजी में प्रत्येक माह वितरित किये गये चावल की मात्रा अंकित करते हुए उपभोक्ता का हस्ताक्षर कराना था। आपके द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण नहीं करने के फलस्वरूप दुकानदारों का उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

उक्त आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-2740, दिनांक 23 मार्च, 2013 द्वारा श्री उराँव से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री उराँव द्वारा विभागीय निदेश के अनुपालन में अपना स्पष्टीकरण पत्रांक- 86 मु0/आ0, दिनांक 18 अप्रैल, 2013 द्वारा समर्पित किया गया है।

उपायुक्त, पलामू द्वारा पत्रांक-46/स्था0, दिनांक 8 फरवरी, 2014 द्वारा श्री उराँव के स्पष्टीकरण पर अपना मन्तव्य उपलब्ध कराया गया है। उपायुक्त, पलामू ने उपर्युक्त आरोप संख्या-3, 4 एवं 5 के लिए श्री उराँव के स्पष्टीकरण को तार्किक माना है जबकि आरोप सं0-1 एवं 2 के लिए आरोपी पदाधिकारी को मात्र पर्यवेक्षण कार्य में चूक का दोषी माना गया है।

श्री उराँव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री उराँव को जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत अनाज वितरण के पर्यवेक्षण कार्य में चूक का दोषी पाया गया है।

श्री उराँव के विरूद्ध प्रमाणित उक्त आरोप के लिए इन पर 'निन्दन' दण्ड अधिरोपित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 235–50 ।